

28/5/18 आज 12.0 सा सुप कोर्ट में ध्यान  
 जनरल ता. दी गई गत आदेशों  
 की पालना में दिनांक 6/8/18  
 का पत्र हो

राजस्थान लोक अदालत आयोग  
 न्याय आषक दार 2018

256-18 परावली राजस्थान लोक अदालत

कोर्ट को रिपोर्ट में देखा हुआ है। परावली एवं  
 परावली पर उपलब्ध रिपोर्ट का हवालामुता  
 किया गया। रिपोर्ट कोर्ट में उपस्थित अथवा  
 उपलब्ध 8 को सुना गया। परावली में सुनने  
 से अन्वय निकाला जा रहा है। इस  
 परिणाम पर अन्वय निकाला जा रहा है।  
 की प्रतीति 37 है। अन्वय अन्वय निकाला  
 से प्रोबन्डिस किया जा रहा है।  
 यह है। प्रथम प्रथम केस। प्रथम  
 मन्त्रालय जा रही है प्रथम से  
 गरी जा रहा है। अन्वय  
 दाहिं का निदान भी जा रही है

जगदीश शर्मा




Earst  
 अध्यक्ष कलकत्ता  
 रोड

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
आवक  
हुक्म  
दिनांक

बलाप इजाजत हुक्म में जाया  
जाता है कि वह जोर से बहाल  
वज्र का कोई विशेषता खासियत कि  
जाता है। प्रकरण के मातल सुनाने  
मन्वा के मत से तथा बाद वकील  
प्रतिपक्ष लख गज्जा के संभूत बर के  
सुनाने। निर्णय सुनाने के  
के मातल मय के विचारों से मातल  
कात के। और वाप जाति सुनाने



25/1/29  
जम्मू जिल्ला न्यायालय  
जज